UPJB010044512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1004/2026

शुभ चौधरी पुत्र श्री राज बहादुर सिंह, निवासी ग्राम हिसामपुर, थाना नौगांवा सादात, जिला अमरोहा।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–187/2026
धारा–191(2),191(3),109(1),3(5)
भारतीय न्याय संहिता व
3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–अमरोहा देहात, जिला अमरोहा।

एवं

UPJB010045492026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1009/2026

दिपाँशु चौहान उर्फ क्रिश पुत्र परवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम स्याऊ थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–187/2026
धारा–191(2),191(3),109(1),3(5)
भारतीय न्याय संहिता व
3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–अमरोहा देहात, जिला अमरोहा।

एवं

UPJB010045502026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1010/2026

लक्ष्य चौहान उर्फ लकी पुत्र धर्मेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम स्याऊ थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.20 15:27:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–187/2026
धारा–**191(2),191(3),109(1),3(5)**
भारतीय न्याय संहिता
थाना–अमरोहा देहात, जिला अमरोहा।

<u>जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः 20.06.2026</u>

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक /अभियुक्तगण **शुभ चौधरी, दिपाँशु चौहान उर्फ क्रिश व लक्ष्य चौहान उर्फ लकी** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त तीनों के द्वारा पृथक–पृथक प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

02. उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व अपराध से सम्बन्धित होने के कारण इनको एक ही आदेश के द्वारा निस्तारित किया जाना उपयुक्त है।

03. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार **वादी मुकदमा हिमांशु** के द्वारा थाना अमरोहा देहात पर दिनांक 06.06.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमें कथन किया गया कि दिनांक 03.06.2026 को वह अपनी स्कॉरपियों कार सं०–UP23AW4141 से अपने दोस्त प्राशु के साथ जोया से जीवन ज्योति अस्पताल के पास रास्ते में हिल्टन स्कूल से वाईपास तिराहा कल्याणपुर मोड़ पर जाते हुऐ अंधेर में समय 20:56 बजे कल्याणपुर मोड़ वाले रास्ते के तरफ से किसी व्यक्ति ने गाड़ी पर फायर किया, जिससे ड्राईवर कि तरफ से अगला शीशा व खिड़की का शीशा टूट गया। कल्याणपुर तिराहे से कुछ लड़के हिल्टन स्कूल की तरफ को गये और उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया।

04. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

05. आवेदक/अभियुक्त **शुभ चौधरी** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिये गये कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। उक्त केस में किसी के कोई चोट नहीं बतायी गयी है, नो इंजरी केश है। कथित घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 109 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज की गयी है तथा शेष धाराओं की वृद्धि बाद में की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा जो तमंचा प्रार्थी से बरामद होना दिखाया है, उसमें जिंदा कारतूस फंसा दिखाया है। इसका मतलब प्रार्थी पर दिखाये गये तमंचे से कोई फायर नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी बी.सी.ए. का छात्र है तथा प्रार्थी का उज्ज्वल भविष्य है, जेल में निरूद्ध रहने से प्रार्थी के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वह दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

06. आवेदक/अभियुक्त **दिपाँशू चौहान उर्फ क्रिश** के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदक/अभियुक्त **शुभ चौधरी** के समान ही कथन किया तथा यह भी कथन किया है कि जो बरामदगी पुलिस द्वारा दिखायी गयी है, वह सब फर्जी है तथा पुलिस द्वारा प्लांट की गयी है। उसके द्वारा किसी के साथ हथियार लेकर मारपीट नहीं की गयी है। वह दौराने विवेचना व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। वह दिनांक 08.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

07. आवेदक/अभियुक्त **लक्ष्य चौहान उर्फ लकी** के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदक/अभियुक्त **दिपाँशू चौहान उर्फ क्रिश** के समान ही कथन किया है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्रों का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थनापत्रों को निरस्त करने की याचना की गयी है।

08. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि मामले की घटना दिनांक 03.06.2026 को समय करीब 20:56 बजे रात्रि की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन पश्चात दिनांक 06.06.2026 को समय 19:20 बजे संबंधित थाने पर दर्ज करायी गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी मुकदमा के ऊपर जान से

मारने की नीयत से फायर करने तथा फायर कर गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप है।

09. केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन की ओर से कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं है। मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट आना नहीं बताया है। आवेदक/अभियुक्तगण लगभग **12 दिन** से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **शुभ चौधरी, दिपाँशु चौहान उर्फ क्रिश व लक्ष्य चौहान उर्फ लकी** के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं।

प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुबलिग 50,000–50,000/– (पचास–पचास हजार) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी–इतनी ही धनराशि के **एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय** की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये:–

1– आवेदक/अभियुक्त, विवेचना/ विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त, गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त, मामले का विचारण प्रारम्भ होने पर न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत / जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5– विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

6– आवेदक/अभियुक्त, कथित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1009, 1010 सन 2026 पर रखी जाये।

दिनांक–20.06.2026

(शाकिर हसन)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अमरोहा
JO CODE–UP2416

टाईपकर्ता: राजीव कश्यप, आशुलिपिक